


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिहासगत जल	नम्बर व तारीख अवकाश की हुक्म हुक्म की तारीख में जारी हुए
2.12.2025	<p>           5-5            12/25 अरेश चन्द व राम प्रीति चन्द         </p> <p>           अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित अप्रार्थी संख्या 12 की रजिस्टर्ड तामिल हो चुकी है बावजूद तामिल के उपस्थित नहीं। अप्रार्थी संख्या 12 के विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही की जाती है। अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना- पत्र टी.आई. के निस्तारण हेतु निवेदन किया गया।         </p> <p>           बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन व मनन किया गया।         </p> <p>           अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण होने तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे भूमि खसरा नं० 594 रकबा 1.09 है० खसरा नं० 673 रकबा 0.74 है० खसरा नं० 674 रकबा 0.81 है० खसरा नं० 751 रकबा 0.19 है० कुल किता 4 कुल रकबा 2.83 है० स्थित ग्राम टटवाड़ा की रिकॉर्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।         </p> <p>           पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो वाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।         </p> <p>             सहायक कलेक्टर            एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट            गंगापूर सिटी (स०भा०)         </p>	